

# फर्द अहकाम

(नियम.26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

शिमू बनाम मोदी कन्सट्रक्शन कम्पनी

1/131

किस्म मुकदमा दावा धारा 183 आर.टी.ए.

मु० नं०.....सन-2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.06.2025	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">2025/195</p> <p>दावा वकील वादी श्री मुकेश शर्मा, एडवोकेट ने उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ये रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 27.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा</p> <p>27/06/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 08/08/25 को पेश हो।</p> <p>08/08/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 17/10/25 को पेश हो।</p> <p>17/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवेज दिल गई। किन्तु वकील वादी होजेर अदालत नहीं आये। वादी स्वयं ही होजेर नहीं हैं। अतः वकील वादी की जमाने दावा अदमा हाजरी अदमा पेशी में स्वीज किया जाता है। पत्रावली फेरल होकर नम्बर से कम हो। बाद प्रीत जमाले स्व शब्द हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
मालाखेडा (अदालत) राज०